प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : माननीय. श्री धीरेन्द्र मिश्रा एवं

माननीय श्री आर.एन.चंद्राकर, न्यायधीश

दाण्डिक अपील संख्या 622 / 2003

अपीलार्थी: राम चंद्र और अन्य

अभिरक्षा में

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत

सही/-
धीरेंद्र मिश्रा
न्यायाधीश

माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर, **न्यायधीश**

मैं सहमत हूँ।

सही/-
आरएन चंद्राकर
न्यायाधीश
19.10.2009

21 अक्टूबर, 2009 को निर्णय के लिए सूचीबद्ध करें।

सही/-
धीरेंद्र मिश्रा
न्यायाधीश
20.10.2009

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ :

श्री धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायधीश एवं माननीय श्री आर.एन.चंद्राकर,

न्यायधीश

दाण्डिक अपील संख्या 622 / 2003

<u>अपीलार्थी:</u> अभिरक्षा में	1. राम चंद्र, उम्र लगभग 37 (35) वर्ष। 2. तारा चंद, उम्र लगभग 42 (40) वर्ष। दोनों पुत्र घनाराम लोधी, कृषक निवासी ग्राम ढोढ़ापुर , थाना पथरिया , तहसील मुंगेली , जिला बिलासपुर.
बनाम	
<u>प्रत्यर्थी</u>	छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

श्री पी.के.सी. तिवारी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री शशि भूषण,अधिवक्ता अपीलार्थियों के लिए

श्री आशीष शुक्ला, विद्वान शासकीय अधिवक्ता राज्य के लिए

श्री वी.सी. ओत्तलवार और श्री मलय श्रीवास्तव विद्वान अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए

निर्णय

(01.10.2009 को पारित)

धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायधीश

1. अपलार्थी ने सत्र प्रकरण क्रमांक 420/01 में पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के आदेश दिनांक 12.5.2003 के निर्णय के खिलाफ द.प्र.सं. की धारा 374(2) के तहत यह दाण्डिक अपील दायर की है, जिसके तहत विद्वान तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एफटीसी, मुंगेली , जिला बिलासपुर ने अपीलार्थियों को भा.दं.सं. की धारा 302/34 और 323/34 के तहत दोषी ठहराया है और उनमें से प्रत्येक को आजीवन कारावास, 1,000/- रुपये का जुर्माना अदा करने, चूक होने पर छह महीने के लिए अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने और 500/- रुपये का जुर्माना अदा करने और जुर्माना अदा न करने पर दो महीने के लिए सश्रम कारावास से दण्डित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, यह है कि घायल शिकायतकर्ता करण सिंह के पिता, अर्थात् मौजीराम , और आरोपी व्यक्ति ग्राम ढोढापुर के काश्तकार हैं । 20 जुलाई, 2001 को 18.00 बजे, अपीलार्थी रामचंद्र लोधी, शराब के नशे में, लाठी लहरा रहा था और सड़क पर जगुराम नामक व्यक्ति के घर के सामने गंदी भाषा का प्रयोग कर रहा था। भगवानदास नामक व्यक्ति उसे अपने घर ले गया, हालांकि, वह फिर से लौट आया और जगुराम के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया , यह आरोप लगाते हुए कि उसने उसे सरपंच चुनाव में हरा दिया, जिसके बाद जगुराम ने उससे लाठी छीन ली। इस पर, वह अपने घर

वापस चला गया और अपने भाई ताराचंद के साथ वापस आया। रामचंद्र ने तलवार पकड़ी हुई थी जबकि ताराचंद ने लाठी पकड़ी हुई थी। अपीलार्थी रामचंद्र ने मौजीराम के सिर पर हमला किया जबकि अपीलार्थी ताराचंद ने उस पर लाठी से हमला किया। मौजीराम जमीन पर गिर गया। गवाह करण सिंह, विपतराम , जगुराम और रामनाथ ने हस्तक्षेप किया। उस समय, ताराचंद ने भी करण सिंह पर भी लाठी से हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप, उनके बाएं कोहनी, बाएं पैर और जांघों पर चोटें आईं। करण सिंह कोटवार , अपने पिता मौजीराम और जगुराम के साथआरक्षी केन्द्र गए और अपीलार्थियों के खिलाफ प्रदर्श पी /1 के तहत 21.7.2001 को 2 बजे रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद अपीलार्थियों के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 307/34 के तहत अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने मौजीराम और करण सिंह को प्रदर्श पी /7 और पी /9 के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र , पथरिया में जाँच के लिए भेजा , जहां डॉ पीके सिंह ने उनकी जाँच की और उनकी मेडिको-लीगल रिपोर्ट क्रमशः प्रदर्श पी /8 और पी /10 दी। दोनों को आगे के इलाज के लिए जिला अस्पताल, बिलासपुर में भी रेफर किया गया, जहां मौजीराम की 21.7.2001 को सुबह 10 बजे मृत्यु हो गई। उनके मृत शरीर को शव परीक्षण के लिए 21.7.2001 को प्रदर्श पी /5 के तहत धरम अस्पताल, बिलासपुर भेजा गया, जहां डॉ. एस. चटर्जी ने शव परीक्षण किया और रिपोर्ट प्रदर्श पी /6 दी। प्रथम सुचना प्रतिवेदन की एक प्रति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुंगेली को भेजी गई और उसकी रसीद

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रदर्श पी/23 है। अपीलार्थियों को 22.7.2001 को प्रदर्श पी /16 और पी/17 के तहत गिरफ्तार किया गया। तलवार और लाठी को करण सिंह द्वारा 22.7.2001 को प्रदर्श पी /2 के तहत पेश किए जाने पर जब्त कर लिया गया । उपरोक्त वस्तुएं सीएचसी, पथरिया को प्रदर्श पी / 11 के तहत जाँच के लिए भेजे गए स्थल मानचित्र प्रदर्श पी /5 के अनुसार तैयार किया गया था। अस्पताल से प्राप्त एक सीलबंद पैकेट में मृतक के पहने हुए वस्त्र प्रदर्श पी /20 के अनुसार कब्जे में ले लिए गए। मृतक का रक्तरंजित बनियान, लुंगी और गमछा, सुकृतदास कोटवार द्वारा प्रदर्श पी /21 के अनुसार प्रस्तुत किए जाने पर कब्जे में ले लिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. विवेचना के उपरान्त अभियुक्त /अपीलार्थी के विरुद्ध मुंगेली के न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया , जिन्होंने मामले को सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के न्यायालय को उपार्पित कर दिया और इसे विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा परीक्षण के लिए स्थानांतरण पर प्राप्त किया।

4. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 या अधिवक्ता पिक रूप से 302 और धारा 323/34 के अंतर्गत आरोप विरचित किये, जिन्होंने अपने निर्दोष होने का अभिवाक किया। अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों/अपीलार्थीओं के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए कुल 14 गवाहों परीक्षण कराया। इसके बाद, अभियुक्तों/अपीलार्थीओं के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले

में उनके विरुद्ध प्रस्तुत परिस्थितियों से इनकार किया और खुद को निर्दोष और झूठे आरोप में फंसाए जाने का अभिवाक दिया।

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने संबंधित पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद अपीलार्थियों को दोषी ठहराया और इस निर्णय के पैरा-1 में उल्लिखित अनुसार दण्डित किया।

6. मौजीराम की मृत्यु मानव वध थी यह विवादित नहीं है। अन्यथा भी, घायल प्रत्यक्षदर्शी करण सिंह (अ. सा.-1), प्रत्यक्षदर्शी जगुराम (अ. सा.-2), विपतराम (अ. सा.-3), डॉ. पीके सिंह (अ. सा.-10) के साक्ष्य से, जिन्होंने मृतक की जाँच की और प्रदर्श पी /8 की चोट रिपोर्ट के अनुसार 12 x 1 x 1 सेमी आकार का एक कटा हुआ घाव पाया, और डॉ. एस. चटर्जी (अ.सा.-6) के साक्ष्य से, जिन्होंने मृतक के शरीर काशव परीक्षण किया और प्रदर्श पी /6 रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने मौजीराम के बाएं ललाट क्षेत्र पर 13 x 1 सेमी x हड्डी की गहराई का एक कटा हुआ घाव पाया और उसी स्थान पर ललाट -पार्श्विका हड्डी का 8 सेमी लंबा फ्रैक्चर एक्स्ट्रा -ड्यूरल हेमेटोमा और सबड्यूरल हेमेटोमा भी देखा और राय दी कि चोट तेज धार वाली वस्तु के कारण लगी थी, मौत का कारण सिर पर मौजूद चोट के परिणामस्वरूप सदमा और अत्यधिक रक्तस्राव था और मौत की प्रकृति मानव वध थी। मौजीराम का मानव वध स्थापित हुआ है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अपीलार्थीओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पीकेसी तिवारी ने तर्क दिया कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन करण सिंह द्वारा दर्ज की गई थी, जिन्हें उसी घटना में मामूली चोटें आईं, हालांकि, अपीलार्थी रामचंद्र के खिलाफ कोई आरोप नहीं है कि उन्होंने शिकायतकर्ता को साधारण उपहति कारित की। स्वतंत्र गवाह जंगलराम लोधी, गंगू यादव और रामनाथ लोधी, जिन्होंने हस्तक्षेप किया और जिनके नाम प्रथम सूचना प्रतिवेदन में हैं क्योंकि उन्होंने घटना को देखा और सुना है, अभियोजन पक्ष द्वारा उनका परीक्षण नहीं कराया गया है। इस बात के साक्ष्य हैं कि मौके पर कई लोग इकट्ठा हुए थे, हालांकि, किसी भी स्वतंत्र गवाह का परीक्षण नहीं कराया गया, हालांकि वे उपलब्ध थे। आगे यह तर्क दिया गया कि कथित प्रत्यक्षदर्शी गवाह रामनाथ, जगुराम (अ.सा. -2), विपतराम (अ.सा. -3) पर सत्र प्रकरण क्र. 96/02 के संबंध में अभियोजन चलाया गया था और उसी तारीख को विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें दोषी भी ठहराया गया था अन्य प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के नाम सुकृतदास (अ. सा. -5), टीबी बाई (अ. सा. -7), और भगवानदास (अ. सा. -8) हैं। करण सिंह मृतक का पुत्र है, जबकि टीबी बाई मृतक की विधवा है। जगुराम मृतक का बड़ा भाई है और विपतराम तथा रामनाथ क्रमशः मृतक के चाचा और भाई हैं। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा जिन प्रत्यक्षदर्शियों का परीक्षण कराया गया, वे सभी मृतक के निकट संबंधी होने के कारण हितबद्ध गवाह हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. यह आगे तर्क दिया गया है कि जब तक शिकायतकर्ता पक्षआरक्षी केन्द्र पहुंचा, अपीलार्थियों ने 20.7.2001 को 23.30 बजे विपतराम , रामनाथ, जगुराम और मृतक मौजीराम लोधी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। दोनों अपीलार्थियों को चोटें आई थीं, जो उनकी मेडिको-लीगल परीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श D-6A और D-8 से स्थापित है। दोनों के सिर पर चोटें आईं, जिससे रक्तस्राव हुआ। उन्हें एक्स-रे कराने की सलाह दी गई और एक्स-रे के बाद ही, हड्डी की चोट के अभाव में, इसे साधारण प्रकृति का बताया गया। अभिलेख में सबूत उपलब्ध है कि मौजीराम और रामचंद्र दोनों लाठियां लिए हुए थे और झगड़ा मौजीराम ने शुरू किया था । अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित गवाहों ने अपीलार्थियों के शरीर पर लगी चोटों का वर्णन नहीं किया है और इस तरह, अपराध की उत्पत्ति और स्रोत को दबा दिया है। अभिलेखों में उपलब्ध साक्ष्यों और अपीलार्थियों को लगी चोटों को देखते हुए, अभियोजन पक्ष की कहानी संदिग्ध और संदेहास्पद हो जाती है, और अपीलार्थियों द्वारा प्राइवेट बचाव के अधिकार के प्रयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अपीलार्थियों से अपराध के हथियार जब्त नहीं किए गए हैं, इसलिए उन्हें अभियोगात्मक साक्ष्य नहीं माना जा सकता और इस संबंध में यह स्पष्टीकरण कि अपीलार्थियों ने घटना के बाद अपराध का हथियार मौके पर ही छोड़ दिया था और उसे शिकायतकर्ता ने ले लिया था, विश्वसनीय साक्ष्यों से सिद्ध नहीं होता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अपीलार्थी ताराचंद को भा.दं.सं. की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया गया है। हालाँकि, उसके खिलाफ आरोपित प्रत्यक्ष कृत्य स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं हुआ है क्योंकि कथित प्रत्यक्षदर्शी करण सिंह, जगुराम और विपतराम ने बिना यह बताए कि पैर के किस हिस्से पर चोटें आई थीं, गवाही दी है कि ताराचंद ने पैर पर उपहति कारित कीं, जबकि अ.सा.-7 टीबी बाई ने आरोप लगाया है कि उसने पीठ पर उपहति कारित कीं। ताराचंद के खिलाफ उपरोक्त आरोप प्रथम सूचना प्रतिवेदन में हैं।शव परीक्षण करने वाले डॉक्टर ने भी मृतक के दाएं या बाएं पैर पर कोई चोट नहीं देखी है। इन परिस्थितियों में, भा.दं.सं. की धारा 302/34 के तहत अपीलार्थी ताराचंद की दोषसिद्धि अपास्त किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. रणबाज सिंह बनाम पंजाब राज्य[1] और सर्वेश नारायण शुक्ला बनाम दरोगा सिंह एवं अन्य[2] के मामलों में दिए गए निर्णयों का अवलंब लिया है।

11. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय के आक्षेपित फैसले का समर्थन किया है।

12. बाबूलाल भगवान खंडारे बनाम महाराष्ट्र राज्य, नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सतीश के मामलों में दिए गए निर्णयों का अवलंब लिया गया है।

1 5708
2 2007 AIR SCW 6843

13. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है। हमने विचारण न्यायालय के अभिलेख तथा आक्षेपित निर्णय का भी अवलोकन किया है।

14. विचारण न्यायालय ने विपतराम (अ.सा.-3) और डॉ. एस. चटर्जी (अ. सा.-6) के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए, जिन्होंने मृतक मौजीराम काशव परीक्षण किया था और अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी /6 को साबित किया था, यह अवधारित किया है कि मृतक मौजीराम की मृत्यु मानव वध थी। इसके अलावा घायल प्रत्यक्षदर्शी करण सिंह, प्रत्यक्षदर्शी जगुराम , विपतराम और टीबी बाई के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए, यह माना है कि हरियाली के दिन आरोपियों और घायल व्यक्तियों के बीच पंचायत चुनाव और कोटवार द्वारा की गई घोषणा के संबंध में कुछ झगड़ा हुआ था और उसी घटना में, अपीलार्थियों ने मृतक पर तलवार और लाठी से हमला किया और इस तरह उसकी मृत्यु कारित की । यह आगे माना गया है कि अपराध कारित करने के बाद, अपीलार्थियों ने अपराध में प्रयुक्त हथियारों को घटना स्थल पर छोड़ दिया और भाग गए, जिन्हें शिकायतकर्ता करण सिंह द्वारा आरक्षी केन्द्र ले जाया गया और घटना के दिन करण सिंह द्वारा पेश किए जाने पर उन्हें जब्त कर लिया गया। अभियोजन पक्ष के मामले में मौजूद विसंगतियां ऐसी प्रकृति की नहीं हैं कि सम्पूर्ण अभियोजन पक्ष के मामले पर विश्वास नहीं किया जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. घटना के आहत चक्षुदर्शी असा -1 करण सिंह कोटवार सुकृत दास के साथ पुलिस थाने गए और प्रदर्श पी/1 की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्हें और उनके पिता मौजीराम को चिकित्सीय परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया। उनकी जाँच डॉ.

पीके सिंह (अ.सा.10) ने की और उनकी मेडिको-लीगल जाँच रिपोर्ट प्रदर्श पी/10 दिनांक 21.7.2001 है, जिसमें बाएं कोहनी पर 3 x 0.5 सेमी आकार का एक खरोच, बाएं कोहनी के जोड़ पर एक धुरी के आकार की कोमलता युक्त सूजन, संयुक्त आंदोलन प्रतिबंधित पाया गया। इस गवाह ने गवाही दी है कि 20.7.2001 को हरियाली वाले दिन शाम को लगभग 6 बजे उसने गांव में अपने घर के सामने गालियां सुनीं। उसने देखा कि रामचंद्र तलवार और ताराचंद लाठी लहराते हुए उसके पिता मौजीराम को गालियां दे रहे थे और धमका रहे थे। रामचंद्र ने अपने पिता के सिर पर तलवार से हमला किया जब उसने बीच-बचाव किया, तो ताराचंद ने उसकी कोहनी, बाएँ पैर और जांघ पर वार किया। उसके पिता के सिर और दोनों जांघों पर चोटें आईं। जगुराम , चंद्रशेखर, ऋषि कुमार, रामनाथ, मोतीराम, सलीका, सुकृतदास , दादूराम , लीलाराम, टीबी बाई, द्वारिकाबाई , शंकरलाल और विजय कुमार वहाँ आए और बीच-बचाव किया। उनके आते ही दोनों आरोपी तलवार और लाठी छोड़कर भाग गए। उसके पिता वहीं गिरकर बेहोश हो गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वह कोटवार सुकृतदास के साथ थाना पथरिया गया प्रदर्श पी /1 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई । पुलिस उसे और उसके पिता को पथरिया अस्पताल ले गई, जहां उनकी चिकित्सकीय जाँच की गई। उसके बाद उसके पिता को बिलासपुर अस्पताल रेफर किया गया, जिनकी उसी दिन मृत्यु हो गई। आर्टिकल A-तलवार और वास्तु बी -लाठी, वही हथियार हैं जिनसे रामचंद्र और ताराचंद ने उसके पिता पर हमला किया था। इन्हें प्रदर्श पी /2 के जरिए जब्त कर लिया

गया। उसने यह भी गवाही दी है कि आरोपियों ने पंचायत चुनाव संबंधी रंजिश के कारण उन पर हमला किया था। प्रति परीक्षण में उसने स्वीकार किया है कि घटना के डेढ़-दो साल पहले पंचायत चुनाव हुए थे। उक्त चुनाव में रामचंद्र की मां प्रेमीबाई से हार गई थी और उपरोक्त दुश्मनी के कारण उसके पिता पर हमला किया गया था । हालांकि, उसने इस बात से इनकार किया है कि पंचायत चुनाव के बाद उसके पिता की आरोपियों से बातचीत नहीं थी उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया है कि जब वह घर से बाहर निकले थे, तो उनके साथ विपतराम , जगुराम और रामनाथ थे। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि उनके पिता के साथ आए उपरोक्त तीनों लोगों ने रामचंद्र के साथ गाली-गलौज की और मारपीट की, जिसके बाद ताराचंद रामचंद्र को बचाने आए थे। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि वह तलवार लेकर बाहर आए थे। हालाँकि, उन्होंने यह स्वीकार किया है कि इसी घटना के सिलसिले में जगुराम , विपतराम , रामनाथ और उनके पिता के खिलाफ मामला लंबित है। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि जब वह आरोपियों पर तलवार से हमला करने की कोशिश कर रहे थे, मौजीराम बीच में आ गया और तलवार उसके सिर पर लग गई। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि जब आरोपी आरक्षी केन्द्र पहुंचे तो वे पहले ही वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने उनके शरीर पर कोई चोट नहीं देखी और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्हें एक्स-रे के लिए भेजा गया था या नहीं। तलवार और लाठी को मौके पर छोड़ने, ताराचंद द्वारा अपने पिता की जांघों पर हमला करने, उन ग्रामीणों की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति, जिनके नाम प्रथम सुचना में नहीं हैं, और यह तथ्य कि उनके पिता बेहोश हो गए थे और वह अपने पिता को खाट पर लाए थे, के संबंध में उनकी प्रथम सुचना में लोप की ओर इशारा किया गया है। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि ताराचंद ने अपने पिता पर लाठी या तलवार से हमला नहीं किया।

16. अ. सा.-2 जगुराम ने यह भी कथन दिया है कि घटना के दिनांक और समय पर वह अपने बरामदे में बैठा था, तभी रामचंद्र लाठी लेकर वहां आया। चुनाव में मौजीराम का समर्थन करने के लिए वह गंदी-गंदी गालियां दे रहा था; उस समय सुकृतदास , पटेल, दादुरा, विपतराम और मौजीराम भी बैठे थे। रामचंद्र ने उस पर लाठी से हमला करने की कोशिश की, जिसे उसने अपने हाथ से रोक लिया। इसके बाद, रामचंद्र घर वापस चला गया और अपने भाई ताराचंद के साथ वापस आया। उस समय ताराचंद के हाथ में लाठी और रामचंद्र के हाथ में तलवार थी। दोनों गालियां देते हुए वहां आए। रामचंद्र ने मौजीराम के सिर पर तलवार से हमला किया, जबकि ताराचंद ने मौजीराम के पैर पर हमला किया। मौजीराम के सिर और पैर में चोटें आईं और वह वहीं गिर पड़ा। उन्होंने बीच-बचाव करने की कोशिश की और इस दौरान ताराचंद ने करण सिंह के हाथ और पैर पर भी लाठी से हमला किया घटना के बाद, मौजीराम के परिवार के आठ-दस लोग कोटवार सुकृतदास के साथ थाने गए । वे मौजीराम को भी खाट पर ले गए। मौजीराम बोल नहीं पा रहा था, इसलिए उसे बिलासपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। वह भी मौजीराम के साथ बिलासपुर अस्पताल गया, जहाँ उसकी मौत हो गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया है कि उनसे लाठी छीनने के बाद उन्होंने रामचंद्र को पीटा और उनकी चीखें सुनकर ताराचंद वहाँ आए और बीच-बचाव किया। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि उन्होंने हरियाली के दिन शराब पी रखी थी और शराब के नशे में उन्होंने मारपीट की । उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि तलवार करण सिंह की थी। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने तलवार और लाठी उस खाट पर रख दी थी जिस पर मौजीराम को थाने ले जाया गया था। प्रति परीक्षण के दौरान उनके डायरी कथन में कुछ मामूली विलोपन बताया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. अ.सा.-3 विपतराम ने भी न्यायालय के समक्ष अपने कथन में इसी प्रकार का विवरण दिया है।

18. अ.सा.-5 सुकृतदास गांव का कोटवार है । इस साक्षी ने कथन दिया है कि हरियाली के दिन अपीलार्थी रामचंद्र के पिता घनाराम के पूछने पर कि गांव में मवेशी खुलेआम घूम रहे हैं और निर्णय को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसने घोषणा करनी शुरू कर दी थी। जब वह महिला सरपंच के घर के पास पहुंचा तो उसने मौजीराम के घर के सामने देखा कि रामचंद्र और मौजीराम बहस कर रहे थे। उस समय रामचंद्र ने लाठी से जगुराम पर हमला करने की कोशिश की, जगुराम ने उसकी लाठी छीन ली और मौजीराम ने बांस के डंडे से रामचंद्र पर हमला कर दिया, जिसके बाद रामचंद्र अपने घर गया और तलवार लेकर वापस आया और ताराचंद लाठी लेकर आया। मौजीराम ने गेड़ी (बांस की सीढ़ी नुमा

लकड़ी) से हमले का बचाव करने की कोशिश की, परिणामस्वरूप तलवार कीचड़ में गिर गई। उसने आगे बताया कि वह मौजीराम, दीपक राम, जगु और करण के साथ पुलिस थाना पथरिया गया था । चूँकि मौजीराम चलने में असमर्थ था, इसलिए उसे खाट पर ले जाया गया। पथरीगढ़ में मौजीराम बेहोश हो गया। अभियोजन पक्ष द्वारा की गई प्रति परीक्षण में उसने स्वीकार किया कि रामचंद्र के हाथ में तलवार थी। उसने मौजीराम के सिर पर तलवार के निशान नहीं देखे ।

19. अ.सा.-7 टीबी बाई से भी प्रत्यक्षदर्शी के रूप में पूछताछ की गई है। वह मृतक मौजीराम की पत्नी हैं । उन्होंने यह भी गवाही दी है कि उन्होंने अपीलार्थियों को तलवार और लाठी से लैस होकर अपने पति पर हमला करते देखा था। हालाँकि, मृतक और घायल गवाह करण सिंह पर अपीलार्थियों द्वारा किए गए हमले के संबंध में उनकी मुख्य परीक्षा में विसंगति है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. अ. सा. 8 भगवानदास ने कथन दिया है कि रामचंद्र और जगुराम के बीच बहस हो रही थी। दोनों के हाथ में लाठी थी। मौजीराम ने रामचंद्र के हाथ पर लाठी से वार किया। तभी ताराचंद ने आकर बीच-बचाव किया। रामनाथ ने भी ताराचंद के सिर पर डंडे से वार किया और जगु ने भी ताराचंद के हाथ पर लाठी से वार किया। इसके बाद करण अपने घर से तलवार लेकर आया। जब करण ने रामचंद्र पर तलवार से हमला करने की कोशिश की, तो मौजीराम ने अपने बेटे को रोका और तलवार मौजीराम के सिर पर लग गई । इस गवाह

को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया और अभियोजन पक्ष ने उससे प्रति परीक्षण किया।

21. अ.सा.-4 भागीरथी और अ.सा.-9 संतराम , जब्ती के गवाह हैं। भागीरथी ने कथन किया है कि वस्तु 'क' - तलवार और वस्तु 'ख' - लाठी, करण सिंह से आरक्षी केन्द्र पथरिया में जब्त की गई थी । अ.सा.-9 संतराम ने यह भी कथन दिया है कि वह करण सिंह को पहचानता है; तलवार और बाँस की छड़ी को प्र.सा. /2 के तहत जब्त किया गया था।

22. अ.सा.-11 एल. तिग्गा ने करन सिंह से तलवार और लाठी जब्ती की बात प्र.अ. /2 द्वारा सिद्ध की है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि इसी घटना में उसने रामचंद्र की रिपोर्ट के आधार पर विपतराम के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया था और विवेचना के पश्चात् विपतराम , रामनाथ लोधी, जगूराम लोधी और मृतक मौजीराम के विरुद्ध प्र.अ. /8 का आरोप पत्र प्रस्तुत किया था । उसने यह भी स्वीकार किया है कि विपतराम और जगूराम के कथन दिनांक 26.7.2001 को दर्ज किए गए थे, जबकि सुकृतदास के कथन दिनांक 9.8.2001 को दर्ज किए गए थे और तलवार दिनांक 22.7.2001 को जब्त की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. अपीलार्थीओं के विद्वान अधिवक्ता ने इस आधार पर निर्णय को चुनौती दी है कि स्वतंत्र गवाहों, जिनके नाम प्रथम सूचना प्रतिवेदन में दिए गए हैं, की विचारण के दौरान परीक्षण नहीं किया गया है। दोषसिद्धि अ.सा.-1 करण सिंह, अ.सा.-2 जगुराम , अ.सा.-3 विपतराम और अ.सा.-7 टीबी बाई के साक्ष्य पर

आधारित है, जो मृतक के नजदीकी रिश्तेदार हैं और अत्यधिक हितबद्ध वाले गवाह हैं। उन्होंने घटना में भाग लिया था और आरोपी व्यक्तियों पर हमला किया था, नतीजतन, विपतराम , रामनाथ और जगुराम पर को अभियोजित किया था और उन्हें विचारण न्यायालय ने भी दोषी ठहराया है। उन्होंने अपीलार्थियों के शरीर पर मौजूद चोटों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है और इन परिस्थितियों में, उपरोक्त गवाहों के साक्ष्य पर अंतर्निहित निर्भरता रखकर अपीलार्थियों को दोषी ठहराने में विचारण न्यायालय न्यायोचित नहीं था क्योंकि उन्होंने अपराध की उत्पत्ति और उद्गम को दबा दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. यह सत्य है कि घटना के दिन, रामचंद्र की शिकायत पर, मृतक मौजीराम और अभियोजन पक्ष के गवाहों के विरुद्ध 21.7.2001 को अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद, विपतराम , रामनाथ और जगुराम के विरुद्ध धारा 294, 323, 506(ख) और 34 के अंतर्गत प्रदर्श डी. / 8 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि इसी घटना में, अपीलार्थी पक्ष और मृतक पक्ष के बीच कुछ झगड़ा हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी पक्ष को भी मामूली चोटें आईं।

25. रणबाज सिंह के मामले में , अभियुक्त ने द.प्र.सं. की धारा 313 के तहत अपने कथन में यह निश्चित रुख अख्तियार किया है कि वह अपने बेटे रणबाज सिंह के साथ मृतक पक्ष के आवारा मवेशियों से अपनी निर्णय को बचाने के लिए खेत में कंटीली झाड़ियों की शाखाएं लगा रहे थे। मृतक पक्ष वहां आया

और झाड़ियों को लगाने पर आपत्ति जताई, हालांकि, बेटा सहमत नहीं हुआ, जिस पर मृतक पक्ष ने उसके बेटे के सिर पर सोटा से वार करना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप वह जमीन पर गिर गया। मृतक ने उसके बेटे पर वार करना जारी रखा और इसलिए, अपने बेटे को बचाने के लिए, अभियुक्त ने मृतक के सिर पर कंधाली के बोथरे हिस्से से वार किया। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, यह माना गया कि बचाव पक्ष ने यह प्रमाणित किया है कि अभियुक्त के बेटे को घटना में चोटें आईं और अभियुक्त ने अपने बेटे को बचाने के लिए, कंधाली को के पिछले भाग से मारा और इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से अभियुक्त के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का स्थापन होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-II के अंतर्गत दोषी ठहराया था, हालाँकि, उच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय को पलटते हुए उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराया। इन परिस्थितियों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की और अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-II के अंतर्गत दोषी ठहराया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. सर्वेश नारायण शुक्ला के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा-16 में कहा कि किसी पक्षद्रोही गवाह के साक्ष्य को सिरे से पर खारिज नहीं किया जा सकता है और दोनों पक्ष अपने साक्ष्य के ऐसे हिस्से पर भरोसा करने के हकदार हैं, जो उनके मामले में सहायक हो।

27. बाबूलाल भगवान खंडारे मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त पर चोटों का स्पष्टीकरण न दिए जाने के प्रभाव पर विचार करते हुए, यह माना गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा चोटों का स्पष्टीकरण न दिए जाने मात्र से सभी मामलों में अभियोजन प्रभावित नहीं हो सकता है। यह सिद्धांत उन मामलों पर लागू होता है जहां अभियुक्त को लगी चोटें मामूली और सतही हैं या जहां साक्ष्य इतने स्पष्ट और ठोस, इतने स्वतंत्र और निष्पक्ष, इतने संभावित, सुसंगत और विश्वसनीय हैं कि यह अभियोजन पक्ष की ओर से चोटों का स्पष्टीकरण न देने के प्रभाव से कहीं अधिक भारी हैं। यह विचार करते समय कि किसी अभियुक्त को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है या नहीं, यह माना गया है कि अभियुक्त को लगी चोटें, उसकी सुरक्षा के लिए खतरे की आशंका, अभियुक्त द्वारा पहुंचाई गई चोटें, और वे परिस्थितियां कि क्या अभियुक्त के पास शासकीय प्राधिकारियों की मदद लेने का समय था, सभी सुसंगत कारक हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. नामदेव के मामले में , यह माना गया है कि एक गवाह जो मृतक का रिश्तेदार है या किसी अपराध का शिकार है, उसे 'हितबद्ध' नहीं कहा जा सकता है। 'हितबद्ध' शब्द का अर्थ है कि गवाह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अभियुक्त को किसी न किसी तरह से द्वेष या किसी अन्य परोक्ष उद्देश्य से दोषी ठहराने में कुछ हित है। हालांकि, एक रिश्तेदार गवाह के साक्ष्य की

सावधानीपूर्वक जाँच की जानी चाहिए। यदि साक्ष्य आंतरिक रूप से विश्वसनीय, स्वाभाविक रूप से संभावित और पूरी तरह से भरोसेमंद पाया जाता है, तो दोषसिद्धि ऐसे गवाह की 'एकमात्र' गवाही पर आधारित हो सकती है। मृतक या पीड़ित के साथ गवाह का घनिष्ठ संबंध उसके साक्ष्य को खारिज करने का कोई आधार नहीं है। इसके विपरीत, मृतक का एक करीबी रिश्तेदार सामान्यतः असली अपराधी को छोड़ने और एक निर्दोष को झूठा फंसाने के लिए सबसे अधिक अनिच्छुक होगा। आगे यह अवधारित किया गया है कि जहां अभियुक्त द्वारा मृतक के सिर पर हमला किया जाता है, और चिकित्सकीय साक्ष्य के अनुसार प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए चोट पर्याप्त पाई जाती है, तो मामला भा.दं.सं. की धारा 300 के अंतर्गत आता है, न कि धारा 304, भाग-II के अंतर्गत।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सतीश 5 के मामले में, जाँच के दौरान गवाहों की परीक्षा में हुई देरी के संबंध में आपत्ति पर विचार करते हुए, यह माना गया है कि जब तक जाँच अधिकारी से स्पष्ट रूप से यह नहीं पूछा जाता कि गवाहों की परीक्षा में देरी क्यों हुई, तब तक बचाव पक्ष को इससे कोई लाभ नहीं मिल सकता। यह सर्वमान्य नियम नहीं माना जा सकता कि यदि किसी विशेष गवाह की परीक्षा में कोई देरी होती है, तो अभियोजन पक्ष का कथन संदिग्ध हो जाता है।

30. अ.सा.-1 करण सिंह, अ.सा.-2 जगुराम और अ.सा.-3 विपतराम के साक्ष्य की बारीकी से जाँच करने पर, हमारी यह राय है कि जिस तरह से अपराध किया गया था, उसके संबंध में इन गवाहों का कथन सुसंगत और विश्वसनीय है। वे तात्विक विवरणों पर एक-दूसरे की पुष्टि करते हैं । इन गवाहों से लंबी प्रति परीक्षण में बचाव पक्ष उनकी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठा सका। उनके कथन की पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से भी होती है क्योंकि मृतक मौजीराम के सिर पर संबंधित चोटें देखी गई हैं, जिन्हें डॉ. पीके सिंह द्वारा विधिवत साबित किया गया है, जिन्होंने एक मेडिको-लीगल परीक्षण किया और मृतक को आगे के इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां घटना के दिन उसकी मृत्यु हो गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

डॉ. पीके सिंह ने घायल गवाह करण सिंह को लगी चोटों को भी साबित किया है। उनके उपरोक्त कथन की पुष्टि तुरंत दर्ज की गई प्रथम सूचना प्रतिवेदन से भी होती है। अभिलेखों में लगातार साक्ष्य उपलब्ध हैं कि अपराध के हथियार प्रथम सुचना प्रतिवेदन दर्ज होने के दिन अ.सा.-1 करण सिंह द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर जब्त कर लिए गए थे। इस कथन का समर्थन अ.सा.-2 और अ.सा.-3 ने भी किया है। इन परिस्थितियों में, हमारा मत है कि इस पहलू को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि उपरोक्त तथ्य

का उल्लेख प्रथम सुचना प्रतिवेदन में नहीं है, खासकर जब अपराध के हथियारों की जब्ती तुरंत की गई हो।

31. जहां तक अभियुक्तों को लगी चोटों के स्पष्टीकरण न देने का सवाल है, इसमें कोई विवाद नहीं है कि इसी घटना के संबंध में अभियुक्त रामचंद्र की रिपोर्ट के आधार पर अभियोजन पक्ष के तीन गवाहों पर भा.दं.सं. की धारा 323, 294, 506(ख) और 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अभियोजन चलाया गया था। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि जाँच एजेंसी ने जानबूझकर अभियुक्तों को लगी चोटों के तथ्य को छिपाया है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि घटना तीन हिस्सों में हुई थी; शुरुआत में अपीलार्थी रामचंद्र अकेले मौजूद थे और मृतक के घर के सामने गाली-गलौज कर रहे थे, हालांकि, उन्हें शांत कर दिया गया और वे घर लौट आए। वे फिर से लाठी लेकर वापस आए और कुछ झगड़ा हुआ। जब जगुराम ने उनकी लाठी छीन ली, तो इससे क्रोधित होकर वे अपने घर लौट आए और तलवार लेकर अपने भाई ताराचंद के साथ वापस आए जिसके हाथ में लाठी थी और मृतक के सर पर प्रहार किया और जिस तरह से मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण अंग - सिर - पर घातक हथियार - तलवार से हमला किया गया है, उससे यह साबित होता है कि अपीलार्थियों का आशय मौजीराम का मानव वध करना था । शव परीक्षण करने वाले डॉक्टर ने अपनी राय दी है कि चोटें घातक प्रकृति की थीं और मृत्यु मानववध की प्रकृति की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. इस प्रकार, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से, हम इस राय के हैं कि अपीलार्थी रामचंद्र स्वयं मृतक और अन्य गवाहों के साथ झगड़ा करने के लिए जिम्मेदार था, जिसके परिणामस्वरूप मौजीराम का मानव वध हुई। घायल प्रत्यक्षदर्शी करण सिंह, विपतराम और जगुराम के संस्करण को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वे मृतक के रिश्तेदार हैं और इस तरह, हितबद्ध गवाह हैं और उन पर अपीलार्थियों को साधारण उपहति कारित करने के लिए भी अभियोजित किया गया है। अपीलार्थियों ने यह सुझाव देकर बचाव किया है कि करण सिंह तलवार लेकर आया और रामचंद्र पर हमला करने की कोशिश की, हालांकि, तलवार गलती से मौजीराम के सिर पर लग गई क्योंकि वह बीच में आ गया था। हालांकि, उन्होंने द.प्र.सं. की धारा 313 के तहत अपने कथन में ऐसी कोई तर्क नहीं दिया है और उपरोक्त बचाव को प्रमाणित करने के लिए किसी बचाव पक्ष के गवाह का परीक्षण नहीं कराया गया है। यद्यपि अ.सा.-8 भगवानदास ने उपरोक्त बचाव का समर्थन किया है , तथापि, उनके पुलिस बयान प्रदर्श डी. /5 पर विचार करते हुए तथा अभिलेख पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य पर विचार करते हुए, हम इस राय पर पहुंचे हैं कि विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों के उपरोक्त बचाव को सही रूप से खारिज कर दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33. यह सुस्थापित है कि अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सत्यता का पता लगाने के लिए न्यायालयों को गवाहों की संख्या नहीं, बल्कि साक्ष्य की गुणवत्ता पर ध्यान देना आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त का अपराध सिद्ध करने के लिए घटनास्थल पर उपस्थित सभी व्यक्तियों का परीक्षण कराये। साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 के अनुसार, किसी भी तथ्य को सिद्ध करने के लिए गवाहों की कोई विशेष संख्या आवश्यक नहीं है। हम इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते कि सार्वजनिक स्थान पर किया गया कोई जघन्य कृत्य गवाहों के मन में भय और सदमे की भावना पैदा कर सकता है और इस प्रकार, उन्हें आगे आकर अपराधी के विरुद्ध गवाही देने से रोक सकता है। यदि विचारण के दौरान गवाही देने वाले गवाहों की गवाही विश्वसनीय, भरोसेमंद और ठोस पाई जाती है, तो उक्त साक्ष्य पर केवल इसलिए अविश्वास नहीं किया जा सकता या उसे खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि अभियोजन पक्ष कथित रूप से घटनास्थल पर उपस्थित अन्य गवाहों से परीक्षण कराने में विफल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों को उचित महत्व और विचार दिया जाना चाहिए। यह विशेष रूप से तब सत्य है जब किसी गवाह की विश्वसनीयता एक मुददा हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34. इस प्रकार, हमारी सुविचारित राय में,विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष उचित था कि मृतक के सिर पर लगी चोट अपीलार्थी रामचंद्र के कारण आई

थी और यह मानने के लिए कोई ठोस और बाध्यकारी कारण नहीं है कि विचारण न्यायालय गलत था।

35. अपीलार्थी रामचंद्र को भारतीय दंड संहिता की धारा 323/34 के तहत भी दोषी ठहराया गया है। हालाँकि, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अपीलार्थियों ने अ.सा.-1 करण सिंह को साधारण उपहति कारित करने के अपने सामान्य आशय से उस पर हमला किया और अपीलार्थी रामचंद्र ने भी इसमें भाग लिया और करण सिंह को साधारण उपहति कारित की। दोनों अपीलार्थियों द्वारा सामान्य आशय के निर्माण से संबंधित किसी भी सामग्री के अभाव में, अपीलार्थी रामचंद्र की भारतीय दंड संहिता की धारा 323/34 के तहत दोषसिद्धि को यथावत नहीं रखा जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

36. अपीलार्थी ताराचंद को मौजीराम का मानव वध के लिए भा.दं.सं. की धारा 302/34 के तहत और करण सिंह को साधारण उपहति कारित करने के लिए भा.दं.सं. की धारा 323/34 के तहत दोषी ठहराया गया है। इस अपीलार्थी के खिलाफ प्रत्यक्ष तौर पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने मृतक के पैर पर लाठी से हमला किया था। अ.सा.-1 करण सिंह ने गवाही दी है कि अपीलार्थी ताराचंद ने मौजीराम की दोनों जांघों पर उपहति कारित कीं हालांकि, प्रथम सूचना प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि दोनों आरोपी तलवार और लाठी से लैस होकर उसके पिता के घर के सामने दौड़े आए, रामचंद्र ने उसके पिता के सिर पर तलवार से हमला किया, जिससे वह नीचे गिर गए तब तारा

चंद ने उन पर लाठी से हमला किया। ताराचंद ने उस पर लाठी से भी हमला किया और परिणामस्वरूप, उसके बाएं कोहनी और बाएं जांघ पर चोटें आईं। उन्होंने आगे कहा है कि उनके पिता को तलवार से चोटें आईं। इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि ताराचंद ने मृतक की दोनों जांघों पर हमला किया। अ.सा.-2 और अ.सा.-3 ने भी गवाही दी है कि ताराचंद ने मृतक के पैर पर उपहति कारित की, बिना यह निर्दिष्ट किए कि यह दाहिना या बायां या सटीक हिस्सा था, जबकि अ.सा.-7 ने गवाही दी है कि अपीलार्थी ताराचंद ने मृतक की पीठ पर लाठी से उपहति कारित की। हालांकि, मौजीराम की मेडिको-लीगल जाँच रिपोर्ट और उनकीशव परीक्षण रिपोर्ट में मृतक की जांघों या पीठ पर किसी चोट का उल्लेख नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस प्रकार, अपीलार्थी ताराचंद द्वारा मौजीराम को उपहति कारित करने का प्रत्यक्ष कृत्य स्थापित नहीं होता है। मौजीराम का मानव वध करने के लिए एक समान आशय के किसी भी सबूत के अभाव में, धारा 34 की सहायता से धारा 302 के तहत अपीलार्थी ताराचंद की दोषसिद्धि यथावत नहीं रह जाती। हालाँकि, शिकायतकर्ता करण सिंह और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य और डॉ. पी.के. सिंह के साक्ष्य से, जिन्होंने करण सिंह के शरीर पर मौजूद चोटों को साबित किया है, अपीलार्थी ताराचंद के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत आरोप स्थापित होता है।

37. परिणामस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी रामचंद्र की भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषसिद्धि को संशोधित किया जाता है और उसे मौजीराम का मानव वध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया जाता है और आजीवन कारावास तथा 1,000 रुपये का जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडित कराया जाता है। हालाँकि, भारतीय दंड संहिता की धारा 323/34 के तहत उसकी दोषसिद्धि और उसके तहत अधिरोपित दंड को अपास्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मौजीराम का मानव वध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत अपीलार्थी ताराचंद की दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है और उसे उपरोक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। हालाँकि, भारतीय दंड संहिता की धारा 323/34 के तहत उसकी दोषसिद्धि को संशोधित किया जाता है और उसे करण सिंह को साधारण उपहति कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत दोषी ठहराया जाता है, और 500 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जाता है और अदा न करने पर दो महीने के कठोर कारावास से दंड दिया जाता है। अपीलार्थी ताराचंद जमानत पर है, इसलिए उसके जमानत बंध पत्र निरस्त माने जाते हैं। यदि जुर्माने की राशि पहले ही जमा कर दी गई है, तो उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है।

सही/-

धीरेंद्र मिश्रा

न्यायाधीश

21.10.2009

सही/-

आर. एन. चंद्राकर

न्यायाधीश

21.10.2009

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Vijaylaxmi Pradhan [Adv.]